भोजशाला परिसर में खंडित मूर्तियाँ मिली

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मध्य प्रदेश के धार ज़िले में भोजशाला/कमाल मौला मस्जिद परिसर की स्थापना के लिये भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India- ASI) द्वारा किये गए सर्वेक्षण के दौरान 39 खंडित मूर्तियों सहित 1,710 अवशेष पाए गए।

मुख्य बिंदु:

- हिंदू पक्ष **ASI द्वारा संरक्षित 11वीं शताब्दी के स्मारक** भोजशाला को **वाग्देवी (देवी सरस्वती) को समर्पित** मंदिर मानते हैं, जबकि **मुस्लिम समुदाय इसे कमाल मौला मस्जिद कहते हैं।**
- 7 अप्रैल, 2003 को ASI द्वारा की गई व्यवस्था के अनुसार, हिंदू मंगलवार को भोजशाला परिसर में पूजा करते हैं, जबकि मुसलमान शुक्रवार को इसी परिसर में नमाज अदा करते हैं।
- **उच्च न्यायालय** ने 11 मार्च, 2024 को **ASI को छह सप्ताह के भीतर** भोजशाला-कमल मौला मस्जिद परिसर का **"वैज्ञानिक सर्वेक्षण" करने का आदेश** दिया था।
- वहाँ जो मूर्तियाँ प्राप्त हुईं उनमें **वाग्देवी (सरस्वती), महिषासुर मर्दिनी, गणेश, कृष्ण, महादेव, ब्रह्मा और हनुमान की मूर्तियाँ** शामिल हैं।

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India- ASI)

- संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत ASI, देश की सांस्कृतिक विरासत के पुरातात्त्विक अनुसंधान और संरक्षण के लिये प्रमुख संगठन है।
- **यह राष्ट्रीय महत्त्व के 3650 से अधिक प्राचीन स्मारकों, पुरातात्त्विक स्थलों और अवशेषों का प्रबंधन** करता है।
- इसकी गतिविधियों में पुरातात्त्विक अवशेषों का सर्वेक्षण, पुरातात्त्विक स्थलों की खोज और उत्खनन, संरक्षित स्मारकों का संरक्षण एवं रखरखाव आदि शामिल हैं।
- इसकी **स्थापना वर्ष 1861 में** ASI के पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अलेक्जेंडर कनिंघम को "**भारतीय पुरातत्त्व के जनक**" के रूप में भी जाना जाता है

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/bhojshala-3